रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 167] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 1985/श्रावण 28, 1907
No. 167] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 1985/SRAVANA 28, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1985

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 25-ईटीसी (पीएन)/85

विषय :—मानव अस्थिपंजर और उनके भागों की निर्यात नीति।

फाईल सं० 49(3)/85-ई-II :—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई(सी) ओ, 1977 ए एम (310), दिनांक 19 अगस्त, 1985 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि तत्काल से मानव अस्थिपंजर और उनके भागों का निर्यात करना अनुमित नहीं किया जायेगा।

3. इस संबंध में पूर्व निषेध सौदों के लिये कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4. तद्नुसार, आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड-2), 1985—88 के पृष्ठ 14 पर नीति विवरण की क्रम सं० 13(2) पर वर्तमान प्रविष्टि को संशोधित करके निम्न प्रकार पढ़ा जायेगा :—

अनुसूची-1 के भाग "ख" के अनुसार क्रम सं०	मद का विवरण	लाइसेंस नीति
13(2)	अस्थिपंजर, मानव अस्थिपंजर और उनके भागों को छोड़कर	"गुणवत्ता के आधार पर" टिप्पणी :—मानव अस्थिपंजर और उनके भागों का निर्यात करना अनुमित नहीं किया जायेगा।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 19th August, 1985

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 25-ETC(PN)/85

Subject:—Export Policy of Human Skeletons and parts thereof.

F. No. 49(3)/85-E II.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E (C) O. 1977/AM(310) dated the 19th August, 1985, on the above subject.

2. It has been decided that, with immediate effect, export of Human Skeletons and Harts thereof will not be allowed.

3. No request for pre-ban commitments will be entertained in this regard.

4. Accordingly, the existing entry at S. No. 13 (ii) of Policy Statement in page 14 of Import and Export Policy (Vol. II), 1985—88 shall be amended to read as under :—

S.No. as in Part 'B' of Schedule I	Description of the item	Licensing Policy
13(ii)	Skeletons, other than Human Skeletons and parts thereof.	"On Merits" Note: Export of Human Skeletons and Harts thereof-not allowed.

R.L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985